मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 178] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च 2010—चैत्र 5, शक 1932

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. 7392-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 64 के उपबन्धों के पालन में, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 2010 (क्रमांक 15 सन् 2010) जो विधान सभा में दिनांक 26 मार्च 2010 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १५ सन् २०१०

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, २०१०.

मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन अधिनियम, २०१० है.

(२) यह २६ मार्च, २०१० से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा.

धारा ३ का प्रतिस्थापन.

२. मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ३ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के वेतन.

"३ मुख्य मंत्री को तीस हजार रुपये, प्रत्येक मंत्री को सत्ताईस हजार रुपये, राज्य मंत्री को पच्चीस हजार रुपये तथा उप मंत्री एवं संसदीय सचिव को बीस हजार रुपये, प्रतिमास वेतन दिया जाएगा."

धारा ४ का प्रतिस्थापन.

३. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सत्कार भत्ता, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता तथा दैनिक भत्ता.

"४ (१) मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को अठारह हजार रुपये प्रतिमाह सत्कार भत्ता दिया जाएगा.

(२) मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव को सत्रह हजार रुपये प्रतिमास निर्वाचन-क्षेत्र भत्ता दिया जाएगा.

(३) मुख्य मंत्री, प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री और संसदीय सचिव को उसकी पदावधि के दौरान राज्य के भीतर सात सौ पचास रुपये तथा राज्य के बाहर नौ सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक भत्ता दिया जाएगा.".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश विधान सभा के सदस्यों को अनुज्ञेय वेतन, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ते तथा दैनिक भत्ते में क्रमश: रुपये ९०००/- से रुपये १०,०००/-, रुपये १२,०००/- से रुपये १६,०००/- और राज्य के भीतर रुपये ४००/- से रुपये ७५०/- तथा राज्य के बाहर रुपये ५००/- से रुपये ९००/- की वृद्धि की गई थी. अतएव, यह समुचित होगा कि मुख्य मंत्री, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के वेतन, निर्वाचन-क्षेत्र भत्ते, सत्कार भत्ते और दैनिक भत्ते में वृद्धि की जाए. अतएव, यह प्रस्तावित है कि मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २५ सन् १९७२) को यथोचित रूप से संशोधित किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
दिनांक २६ मार्च, २०१०.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित.".

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड २ तथा ३ में प्रस्तावित प्रावधान किये जाने के परिणाम स्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानत: रुपये १,४५,००,०००/- (रुपये एक करोड़ पैंतालीस लाख) केवल का आवर्ती वित्तीय भार आयेगा.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.